कृषि महाविद्यालय, लालसोट

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्रमांक / कृमला. / भण्डार / 2022 / 1605-12 दिनांकः 06.12.2022

सीमित निविदा

कृषि महाविद्यालय, लालसोट में वर्ष 2022–23 में फार्म पर लगभग 3.50 हैक्टर क्षेत्र में हिस्सा आधारित खेती **(चना)** हेतु निर्धारित प्रपत्र में मोहर बंद निविदायें दिनांक 14.12.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं। इस हेतु इच्छित फर्म / व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता व पैन नंबर हो उपर्युक्त कार्य करने के लिए अपनी निविदा बन्द लिफाफे में भरकर दिनांक 14.12.2022 को 12:00 बजे दोपहर तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 1:00 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र 100 / – रूपये नगद जमा करवाकर कार्यालय समय 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है अथवा वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया सकता है। लेकिन कार्यालय में निविदा जमा कराते समय निविदा शुल्क नगद जमा कराना होगा। इस कार्य की अनुमानित लागत एवं उत्पादन लगभग 195000 / – (एक लाख पिचानवे हजार रू.) होगी। इस निविदा की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट www.sknau.ac.in तथा SPPP पोर्टल पर भी उपलब्ध है। कार्य की अवधि : रबी 2022–23.

हिस्सेदारी के लिए इच्छुक फर्म / व्यक्ति निम्नलिखित प्रारूप में अपनी दरे प्रस्तुत करे।

विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत में
1. बीज व भूसा उपज (चना)	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
	कोन्ट्रेक्टर द्वारा कृषि महाविद्यालय, लालसोट को दिया जाने वाला हिस्सा	

हिस्सा आधारित खेती की शर्तें :

1. यह हिस्सा आधारित खेती बुंवाई के बाद (निराई – गुडाई से पहले) से थ्रेस्रिग तक हिस्से के रूप में करवाई जा रही है। जिसमे श्रमिक व्यय निविदादाता के होंगे।
2. बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, फफूंद नाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति कृषि महाविद्यालय, लालसोट ही करेगा।
3. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति मे दवाईयों, स्प्रेयर आदि की आपूर्ती भी कृषि महाविद्यालय, लालसोट ही करेगा। परन्तु श्रमिक व्यय निविदादाता के ही होंगे।
4. बुवाई के बाद से लेकर फसल थ्रेसिंग तथा उसके बाद उत्पाद की साफ–सफाई करके बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
5. स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाईप, फव्वारे सैट, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करनें होंगे तथा कार्य समाप्ति पर सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे।
6. विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाऐं फार्म प्रबन्धक तथा फार्म इन्चार्ज एवं अधिष्ठाता के निर्देशानुसार करनी होगी तथा कृषि कार्य जैसे सिंचाई, निराई, गुढाई, कटाई व अन्य कार्य श्रमिक कार्य निविदिदाता को वहन करने होंगे।
7. हिस्साधारक को उत्पादन के रुप में उत्पादित बीज नहीं दिया जायेगा। हिस्से की राशि उत्पादन को जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी में सात दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी।
8. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकट्ठा करना है, इसके लिये फार्म प्रबन्धक तथा फार्म इन्चार्ज या अधिष्ठाता से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इकट्ठा करने के लिये ट्रेक्टर की सुविधा कृषि महाविद्यालय, लालसोट द्वारा दी जायेगी।
9. निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये करने होंगे, प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य को रोके जाने का अधिकार फार्म प्रभारी या अधिष्ठाता का होगा।
10. बोई गई फसल की जानवरों से, चोरी से रक्षा निविदादाता को करनी होगी।

6/12/2022

11. बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि कोन्ट्रेक्टर मानने हेतु बाध्य होगा।
12. पम्प व ट्यूबवेल, मोटर ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा।
13. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुरन्त बाद एक हजार रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी। यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
14. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का दो प्रतिशत काटा जायेगा।
15. न्यूनतम निविदा दर को कृषि महाविद्यालय, लालसोट स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा।
16. किसी भी प्रकार की जोखिम/दुर्घटना के लिए कृषि महाविद्यालय, लालसोट उत्तरदायी नही होगा।
17. फसल सम्बंधी कार्य में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं लगाया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तें हमें मन्जूर हैं एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्य करने पर सहमत हूँ।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस सीमित निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवायें।
4. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, लालसोट
5. लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, लालसोट
6. नोटिस बोर्ड, कृषि महाविद्यालय, लालसोट
7. नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत, डीडवाना, रालावास, सलेमपुरा
8. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका एवं पचांयत समिति लालसोट

6/12/2022
अधिष्ठाता